



कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड, खंडवा (म.प्र.)

शुद्धि पत्र

क्रमांक-99/एक-21-1/1998

खंडवा, दिनांक : 02/05/2025

कार्य वितरण आदेश क्रमांक-37/एक-21-1/1998 दिनांक 30.04.2025 में शब्दों की हुई लिपिकीय त्रुटि के संबंध में निम्नानुसार शुद्धि पत्र जारी किया जाता है :-

1. कार्य वितरण आदेश के पृष्ठ क्रमांक 1 पर सरल क्रमांक-1 (अ) के समक्ष प्रकरणों के प्रकार के कॉलम क्रमांक 4 के सरल क्रमांक 2 में शब्द "अंतरण" के स्थान पर "जमानत" एवं सरल क्रमांक 3 में शब्द "जमानत" के स्थान पर "अंतरण" पढ़ा जाए।
2. कार्य वितरण आदेश के पृष्ठ क्रमांक 12 पर अवकाश पर प्रभार व जमानत आवेदनों के संबंध में व्यवस्था से संबंधित तालिका के सरल क्रमांक 3 के समक्ष कॉलम क्रमांक 4 में "प्रथम" के स्थान पर "द्वितीय" एवं सरल क्रमांक 6 के समक्ष कॉलम क्रमांक 5 में "चतुर्थ" के स्थान पर "तृतीय" पढ़ा जाए।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पूर्व निमाड खंडवा म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक-935/एक-21-1/98

खंडवा, दिनांक 02/05/2025

आदेशानुसार - प्रतिलिपि

1. विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति अत्याचार निवारण खंडवा
2. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा/हरसूद
3. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/अष्टम व्यव. न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, खंडवा
4. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, हरसूद/पुनासा/श्रृंखला न्यायालय, मांधाता (औंकारेश्वर)
5. द्वितीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/नवम, व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, खंडवा/हरसूद
6. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खंडवा
7. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, खंडवा/हरसूद/पुनासा
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
8. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, खंडवा की ओर पंजीयन लिपिक को संसूचित करने एवं जिला न्यायालय की वेबसाईड पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

जिला रजिस्ट्रार,
सिविल कोर्ट खंडवा (म.प्र.)